

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

वनाम श्रीमती स्मृतीफा वेगम (कॉरा)

किस्म मुकदमा ..... प्रावली 111-128 ..... नं० 37 ..... सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	----------------------------------	--

2-23 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14.3.23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

4-3-23 पत्रावली पेश कर, कलक्टर माण्डल द्वारा न्यायिक कार्यवाही शुरू कर रखने से पत्रावली 14/3/23 को पेश हो ।

8-3-23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन का पत्र तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शाठ पत्र किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा कल-कल कर आवाजे खिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं । उनके विकल्प एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थी का शाठपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्रावली से लिखा जाकर शाठपत्र किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलागिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 37/22 प्रथम

1- श्री लक्ष्मी देवी कपा लेखी निवासीन राजगानपुरा तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती स्वर्णिमा देवी कपा लेखी निवासीन राजगानपुरा तहसील माण्डल (सहायिका-प्रथम श्रेणी)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राजगानपुरा पटवार हल्का राजगानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 4925, 4577 कुल किता 02 रकबा 2-5798 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10-02-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का नैसर्गिक व प्राथमिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम राजगानपुरा पटवार हल्का राजगानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 4925/4577 कुल किता 02 रकबा 2-5798 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को 1000/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा